August 26, 2021

BSE Limited
Floor 25, P. J. Towers
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai - 400 051

Dear Sirs,

Sub.: Publication of information regarding 43rd Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, September 22, 2021 through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means

This is to inform you that the 43rd Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 22, 2021 at 11:00 A.M. (1ST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

The Notice of the 43rd AGM of the Company and the Annual Report for the financial year 2020-21 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants and will also be available on the Company's website at www.jubilantpharmova.com in due course.

We enclose herewith copies of the advertisements published on August 26, 2021, in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi) pursuant to circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India.

This is for information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Jubilant Pharmova Limited

RAJIV CHANDRAKANT SHAH
Digitally signed by RAJIV CHANDRAKANT SHAH
Date: 2021.08.26 15:41:41 +05'30'

Rajiv Shah
Company Secretary

Encl.: as above

A Jubilant Bhartia Company
Our Values
INSPIRE CONFIDENCE
ALWAYS STRETCH
NURTURE INNOVATION
EXCELLENT QUALITY

Jubilant Pharmova Limited
1-A, Sector 16-A,
Noida-201 301, UP, India
Tel: +91 120 4361000
Fax: +91 120 4234895-96
www.jubilantpharmova.com

Regd Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha - 244 223
UP, India
CIN : L24116UP1978PLC004624

SBI MF nets ₹12,000 cr in highest ever NFO

Neil Borate
neil.b@livemint.com
MUMBAI

SBI Mutual Fund (SBI MF) has set a record by collecting more than ₹12,000 crore in the new fund offer (NFO) of its Balanced Advantage Fund, a person aware of the development said.

This beats the previous record of ₹10,000 crore collected by ICICI Prudential Asset Management Company for its flexi-cap fund NFO in July, and comes at a time when benchmark indices are at all-time highs.

The NFO, which opened on 12 August, concluded on Wednesday. Being an open-ended fund, investors can subscribe to the fund later as well.

A balanced advantage fund can modify its allocation to equity and debt according to market conditions. This is likely to have increased the appeal of the fund for investors wary of stretched valuations.

SBI MF had also introduced a unique percentage withdrawal feature in order to provide a steady steam of cash flows to investors.

Under this feature, investors can opt for a withdrawal of 0.5% of the invested amount every month, 3% every six months or 6% per annum.

However, in case the fund is unable to deliver returns above these rates, the withdrawals would come out of the investor's capital.

FMCG cos not worried about monsoon deficit

Companies see limited impact on the sale of packed goods in rural India

Suneera Tandon
suneera.t@livemint.com
NEW DELHI

After Skymet lowered its forecast for the southwest monsoon, fast-moving consumer goods (FMCG) companies said concerns of a possible drought in Gujarat and West Bengal Rajasthan are likely to impact pockets of consumption, but the effect is set to be limited on the sale of packed goods in rural India.

On 23 August, the weather forecaster said the monsoon will be at 94% of the long-period average (LPA) between June and September. It had earlier predicted a normal monsoon. LPA is the average rainfall over a 50-year period between 1951 and 2001. The southwest monsoon made a timely onset and had a good start with June ending at 110% of the LPA. However, July started on a weak note, with a pronged break till 11 July, it added.

"The southwest monsoon encountered the second 'break monsoon' phase during the first fortnight of August. Extended weak monsoon conditions resulted in pan-India seasonal rainfall deficiency settling at 9% till the middle of August. The below normal status of monsoon has not improved till now," Skymet said. It also flagged the risk of deficient rains in Gujarat, Rajasthan, Odisha, Kerala and Northeast India. "The chance of drought over Gujarat and West Rajasthan appears imminent."

Skymet, however, said that distribution of rainfall over more populous states such as Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have been "adequate".

"Accordingly, the food production in the agri bowl of central parts may not be stressed and skewed," it added.

A normal monsoon is beneficial for India's rural economy and helps drive consumption of packaged goods and other discretionary products.

A normal monsoon is beneficial for the rural economy and helps drive the consumption of packaged goods. AFP

BRAVING THE WEATHER

MARKETS in rural areas drive 36% of demand for fast-moving consumer goods products

SKYMET said rainfall over the agri bowl of central India like Madhya Pradesh have been adequate

COMPANIES hope to recover loss in sales momentum in rural regions during the festive season

FMCG firms said states with large populations had adequate rainfall in the run-up to kharif sowing. "The three months of the monsoon have been pretty decent and it's the last month, which is predicted to be below normal, leading to 94% overall. What matters in the monsoon are two things—the timing of shortfall, which impacts sowing, and geographic spread. States with large population have already got decent rainfall and the sowing season for kharif has gone well; and that's a good sign and overall yields may not suffer," said Sunil Kataria, chief executive, India and SAARC, Godrej Consumer Products Ltd (GCPL). "Overall, the tail of the monsoon season is getting impacted. There should be no material impact on rural growth," he added.

Rural markets drive 36% of demand for FMCG products. The markets have shown steady growth in demand in the aftermath of the pandemic due to a variety of reasons such as extension of the government's rural stimulus programmes and hike in minimum support prices of certain crops.

Electronics company Usha International, which sells fans and smaller home appliances, said while a weakening monsoon was visible in parts of India, the company is hopeful of recovering any loss in sales momentum in those regions during the upcoming festive season.

"In certain parts of the country, the monsoon has been really bad as far as the agricultural economy is concerned. Those pockets actually account for 15-20% of the total rural economy. We expect with the festive season, we will make up for whatever shortfall that occur now," said Ajay Sharma, senior vice-president, head, rural division, Usha International. Any impact on demand will be visible within a month from now, he added.

BARC MESS REMAINS UNRESOLVED

ORDINARY POST
SHUCHI BANSAL

Respond to this column at
shuchi.b@livemint.com

Effective 25 August, the Broadcast Audience Research Council (BARC) India, the viewership measurement body for television, has a new CEO, Nakul Chopra, who has been the past chairman of BARC. The exit of Sunil Lulla, who was the CEO since October 2019, is abrupt and troubling. Clearly, the organization, which has been in the eye of a storm due to the alleged television rating points (TRP) scam since October 2020, is still not out of the woods.

To recap: Mumbai police had acted on a complaint by BARC and one of its vendors Hansa, a research firm, and said it had busted an alleged TRP racket involving a few broadcasters who were manipulating viewership ratings of their channels by bribing panel homes where measurement meters are placed. The police had named Republic TV, among others, in the case. As Republic runs both English and Hindi news channels, BARC suspended the ratings for all news channels in October. The measurement company had then said the exercise "to improve their statistical robustness and to significantly hamper the potential attempts of infiltrating the panel homes", could take 8-12 weeks. However, news genre ratings are yet to be restored.

Late last year, Mumbai police's crime branch had also arrested several people, including a former BARC chief operating officer and CEO, for their alleged role in gaming TV viewership.

Several people *Mint* spoke to said Lulla's resignation last week raises more questions than it answers. He had commissioned a forensic audit to figure out the extent of rigging of ratings. The findings, which had leaked, showed instances of TRP manipulation. "Lulla didn't take sides and was tough. Obviously not all were pleased with it," said a person working with BARC, declining to be named given the sensitivity of the matter. "He was cleaning up the place," the person said.

Interestingly, in the aftermath of unearthing the alleged scam, last November, the information and broadcasting ministry also constituted a committee headed by Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati to review the existing guidelines for TV ratings and come up with recommendations. Vempati, incidentally, is also a BARC board member. The committee submitted its report to the ministry in January, though its details have not been made public.

BARC and its officials are, perhaps, still caught in the crossfire between the Centre and states over the TRP controversy, which became a public spat, said the media industry expert mentioned above.

TV ratings are the only currency on the basis of which advertising worth ₹30,000 crore per year is decided. About 85% of trading in TV is still happening on the basis of this. So it's business as usual, he said. Yet others feel that without BARC's integrity being restored, it cannot be business as usual. "Even the biggest advertisers remained silent when the scam surfaced," said an expert who was part of a BARC panel. "The data was fudged a year ago. What was the nature of the fudge? Was it rectified? There are no answers to these questions still," he said.

Also, entertainment channels cannot be exonerated from using their influence and pressure over BARC from time to time. For instance, a large broadcasting company with a streaming service consistently thwarted the efforts of BARC to launch a measurement for digital platforms, he said.

> It's imperative for the biggest stakeholders to defend and maintain the body's integrity

In an earlier chat with *Mint*, Chintamani Rao, who was closely associated with the formation of BARC, had pointed to the flaw in BARC's ownership structure, which is 60% held by broadcasters and 20% each by advertisers and advertising agencies. This gives broadcasters an undue advantage and influence over the body.

To mitigate some of this influence, experts suggest that board and other committee positions should be on a rotation basis so that the seats are not occupied only by large broadcasters. When big broadcasters, who pay the most, occupy important positions, it gives rise to conflict of interest, they said.

It is imperative for the biggest stakeholders to defend and maintain the integrity of BARC, build in transparency, and institute checks and balances for things to fall in place.

Shuchi Bansal is Mint's media, marketing and advertising editor. Ordinary Post will look at pressing issues related to all three. Or just fun stuff.

sidbi
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Engagement of Retired Officers on Contractual Basis (Full Time) -2021-22

SIDBI invites applications from eligible candidates for following posts-

Sr.	Name of the Post	Stream	No. of vacancies
1	Consultant	HR	1
2	Recovery Officer	Legal	3

Last date of receipt of complete applications is **September 10, 2021**. The detailed advertisement containing eligibility criteria, remuneration, selection process etc and application form are available on "Careers" page of SIDBI's website **www.sidbi.in**. Any modification thereto shall be published on SIDBI's website only.

Sagarmala Development Company Ltd (SDCL)
(A Government of India Enterprise)

Request for Proposal for Engagement of an Agency/Consultant for setting up a Social Media & Multimedia Communication Hub

SDCL invites interested parties in India to participate in the assignment for setting up a Social Media & Multimedia Communication Hub at Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) for creating, monitoring and managing content both for social media and Multimedia for the purpose of awareness on the initiatives and showcase the progress made by MoPSW.

Interested parties may download the RFP document from SDCL website **www.sdclindia.com** or from Central Public Procurement Portal (CPPP) or from e-tender website **www.sdcl.euniwizarde.com** for detailed terms and conditions of the assignment.

All future communication/corrigendum for the above assignments will be issued only on SDCL website www.sdclindia.com and https://sdcl.euniwizarde.com

For any query kindly contact Company Secretary, SDCL at **cs@sdclindia.com** or **011-21400754.**

Date: 26th August 2021

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office : Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata - 700 091
CIN : U40109WB2007SGC113473, cecorpmont@gmail.com, www.wbsedcl.in

NIT No.: WBSEDCL/SPGD/RTS/Ph-II/NIT-28 Date: 18.08.2021

Expressions of Interest (EoI) are invited by the **Chief Engineer, SPGD, WBSEDCL, Vidyut Bhavan (5th Floor), Block-DJ, Salt Lake, Sector–II, Kolkata – 700091** *through electronic tendering (e-tendering) from the contractors for the work of 'Empanelment of Agencies for Design, supply, installation, testing & commissioning of Grid connected Rooftop Solar Photovoltaic Systems in residential premises, aggregating to 50 MWp, including five years comprehensive maintenance in the State of West Bengal for one year.'* **Earnest Money Deposit:** Rs. 5 Lakh for Category-A and Rs. 2 Lakh for Category-B bidders; **Pre-bid Meeting:** 08.09.2021 at 15:00 hrs.; **Last Date of Submission of Bid (Online):** 27.09.2021 (up to 16:00 hrs.). Tenders (EoI) are to be submitted online through **https://wbtenders.gov.in** . Further details of the tender may be had from **www.wbsedcl.in** and from the above-mentioned Office. **Contact No.:** (033) 2319-7784/ 7484 or through e-mail ID: **solarwbsedcl2018@gmail.com**

ICA- T10540(4)/2021

mint
India's #1 Business News Site on Mobile

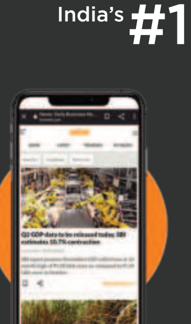

#1 livemint
#2 Economic Times
#3 moneycontrol

Source: Comscore Mobile Metrix, News/Information – Business/ Finance News, Total Unique Visitors, June 2021 | India

JUBILANT INGREVIA

Jubilant Ingrevia Limited
(CIN: L24299UP2019PLC122657)
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula,
District Amroha-244 223, Uttar Pradesh, India
E-mail: investors.ingrevia@jubl.com; Website: www.jubilantingrevia.com
Phone: +91-5924-267200

INFORMATION REGARDING 2nd ANNUAL GENERAL MEETING OF JUBILANT INGREVIA LIMITED

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the 2nd Annual General Meeting **('AGM')** of the Members of **Jubilant Ingrevia Limited** will be held on Wednesday, **September 22, 2021 at 3:00 P.M.** (IST) through Video Conferencing **('VC')/** Other Audio Visual Means **('OAVM')** to transact the business that will be set forth in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the Financial Year 2020-21 along with Reports of the Board of Directors and the Auditors and other documents required to be attached thereto (collectively referred as 'Annual Report') will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants (DPs). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.jubilantingrevia.com and at the websites of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com. Further, members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM has been provided in the Notice of the AGM.

Process for registration of E-mail IDs is given below for those shareholders whose E-mail IDs are not registered:

a) In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors.ingrevia@jubl.com or rta@alankit.com.

b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investors.ingrevia@jubl.com or rta@alankit.com.

The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for casting votes through remote e-voting/ e-voting has been provided in the Notice of the AGM.

The Board of Directors of the Company has at its meeting held on June 7, 2021, recommended payment of dividend of Rs. 0.35 per Equity Share for the Financial Year ended March 31, 2021, subject to approval of Members at the AGM. The dividend, if approved by the Members, will be paid to the Members holding Equity Shares of the Company, either in electronic or in physical form as on the record date, i.e. August 6, 2021 for determining eligibility of Members to receive the dividend.

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders with effect from April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. The TDS rate may vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted to the Company in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The dividend for the FY 2020-21 is subject to declaration by Members at the AGM. Upon declaration, the dividend will be taxable in the hands of the shareholders in the FY 2021-22 (Assessment Year 2022-23). Accordingly, all the details and declarations are required to be furnished for FY 2021-22 (Assessment Year 2022-23). The rate of TDS for various categories of shareholders along with the requisite documents are available on the website of the Company at www.jubilantingrevia.com.

Please note that the aforesaid documents, duly executed, could be sent to the Company as under:

(A) Executed documents can be sent through email ingrevia.dividend@jubl.com;

(B) Executed documents (in original) can be sent directly at the Corporate Office of the Company at Plot 1A, Sector 16A, Noida-201301, Uttar Pradesh.

The aforesaid executed documents must reach the Company on or before September 15, 2021 in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS/withholding tax on the payment of dividend. It is to be duly noted that Members sending documents through email are also required to send the executed documents (in original) at the Corporate Office of the Company.

Members holding Equity Shares of the Company in demat form and who have not registered their Bank details are requested to approach their respective Depository Participant to register their Bank account details. The Members holding Equity Shares of the Company in physical form and who have not registered their Bank details may register their Bank details by sending email to investors.ingrevia@jubl.com or rta@alankit.com.

For **Jubilant Ingrevia Limited**
Sd/-
Deepanjali Gulati
(Company Secretary)

Date: August 25, 2021
Place: Noida

JUBILANT PHARMOVA

Jubilant Pharmova Limited
(CIN: L24116UP1978PLC004624)
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula,
District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India
E-mail: investors@jubl.com; Website: www.jubilantpharmova.com
Phone: +91-5924-267200

INFORMATION REGARDING 43rd ANNUAL GENERAL MEETING OF JUBILANT PHARMOVA LIMITED

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the 43rd Annual General Meeting **('AGM')** of the Members of **Jubilant Pharmova Limited** will be held on Wednesday, **September 22, 2021 at 11:00 A.M.** (IST) through Video Conferencing **('VC')/** Other Audio Visual Means **('OAVM')** to transact the business that will be set forth in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the Financial Year 2020-21 along with Reports of the Board of Directors and the Auditors and other documents required to be attached thereto (collectively referred as 'Annual Report') will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants (DPs). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.jubilantpharmova.com and at the websites of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com. Further, members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM has been provided in the Notice of the AGM.

Process for registration of E-mail IDs is given below for those shareholders whose E-mail IDs are not registered:

a) In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@jubl.com or rta@alankit.com.

b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investors@jubl.com or rta@alankit.com.

The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for casting votes through remote e-voting/ e-voting has been provided in the Notice of the AGM.

The Board of Directors of the Company has at its meeting held on June 4, 2021, recommended payment of dividend of Rs. 5 per Equity Share for the Financial Year ended March 31, 2021, subject to approval of Members at the AGM. The dividend, if approved by the Members, will be paid to the Members holding Equity Shares of the Company, either in electronic or in physical form as on the record date, i.e. August 6, 2021 for determining eligibility of Members to receive the dividend.

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders with effect from April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. The TDS rate may vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted to the Company in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The dividend for the FY 2020-21 is subject to declaration by Members at the AGM. Upon declaration, the dividend will be taxable in the hands of the shareholders in the FY 2021-22 (Assessment Year 2022-23). Accordingly, all the details and declarations are required to be furnished for FY 2021-22 (Assessment Year 2022-23). The rate of TDS for various categories of shareholders along with the requisite documents are available on the website of the Company at www.jubilantpharmova.com.

Please note that the aforesaid documents, duly executed, could be sent to the Company as under:

(A) Executed documents can be sent through email pharmova.dividend@jubl.com;

(B) Executed documents (in original) can be sent directly at the Corporate Office of the Company at Plot 1A, Sector 16A, Noida-201301, Uttar Pradesh.

The aforesaid executed documents must reach the Company on or before September 15, 2021 in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS/withholding tax on the payment of dividend. It is to be duly noted that Members sending documents through email are also required to send the executed documents (in original) at the Corporate Office of the Company.

Members holding Equity Shares of the Company in demat form and who have not registered their Bank details are requested to approach their respective Depository Participant to register their Bank account details. The Members holding Equity Shares of the Company in physical form and who have not registered their Bank details may register their Bank details by sending email to investors@jubl.com or rta@alankit.com.

For **Jubilant Pharmova Limited**
Sd/-
Rajiv Shah
(Company Secretary)

Date: August 25, 2021
Place: Noida

आज का दिन 2015 में अमेरिका के वर्जीनिया में दो पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

दो आबकारी इंस्पेक्टरों सहित पांच के निलंबन की संस्तुति

तीन थाना प्रभारी एक चौकी इंचार्ज सहित नौ निलंबित

जहरीली शराब कांड

आगरा | प्रमुख संवाददाता

जहरीली शराब गांवों में बिक रही थी। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम सो रही थी। एक-एक करके तीन दिन में दस लोगों की मौत हो गई। विसरा रिपोर्ट में शराब के जहरीली होने की पुष्टि के बाद एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने सख्त रूख अख्तियार किया।

इंस्पेक्टर ताजगंज, इंस्पेक्टर डौकी और एसओ शमसाबाद सहित नौ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं दो आबकारी निरीक्षक सहित तीन आबकारी सिपाहियों के निलंबन की संस्तुति की है। जहरीली शराब से तीन थाना क्षेत्रों में लोगों की जान गई। कार्रवाई सिर्फ थाना प्रभारियों के खिलाफ नहीं हुई है। दो चौकी इंचार्ज भी कार्रवाई की जद में आए हैं। बुधवार देर रात एडीजी जोन ने इंस्पेक्टर ताजगंज उमेश चंद त्रिपाठी, चौकी इंचार्ज एकता कुलदीप मलिक, बीट सिपाही देवरी अरुण कुमार, इंस्पेक्टर डौकी अशोक कुमार, बीट सिपाही कौलारा कला सोमवीर, हैड कांस्टेबिल जगजीत सिंह, एसओ शमसाबाद राजकुमार गिरी और गांव गढ़ी जहान सिंह के बीट सिपाही उदयप्रताप व गांव मेहरामपुर के बीट सिपाही श्यामसुंदर के निलंबन के आदेश दिए। कार्रवाई महकमे में खलबली है।

दो आबकारी इंस्पेक्टर सहित पांच फंसे

एडीजी जोन ने अपनी जांच में सेक्टर तीन फतेहबाद के आबकारी निरीक्षक संजय कुमार विद्यार्थी, सेक्टर सात ताजगंज के आबकारी निरीक्षक रजनीश कुमार पांडेय और तीन आबकारी सिपाही विशाल कुमार, राजेश कुमार शर्मा व अमरजीत तेवतिया को भी प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाया है। जिन इलाकों में ग्रामीणों की मौतें हुई वहां अवैध रूप से शराब नहीं बिके यह देखना इनकी जिम्मेदारी थी। पुलिस के साथ इनकी निष्क्रियता भी उजागर हुई। एडीजी जोन ने इनके निलंबन की संस्तुति की है। निलंबन की कार्रवाई आबकारी विभाग के अधिकारियों को करनी है।

दो दिन 20 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई

एक दिन पहले मंगलवार को सिकंदरा थाने में 11 लाख रुपये की लूट पर 11 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। दूसरे दिन बुधवार को जहरीली शराब कांड में तीन थाना प्रभारी, एक चौकी प्रभारी सहित नौ पुलिस कर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई। दो दिन में 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई ने खलबली मचा दी है।

- पुलिस ने जहरीली शराब से मौत के मामले को दबाने के किए गए हर संभव प्रयास

एफएसएल रिपोर्ट में जहरीली शराब से हुई थीं आठ मौतें

आगरा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट से खुलासा हो गया कि आगरा में आठ लोगों की मौत जहरीली शराब के पीने से ही हुई। इधर, बुधवार को भी दो ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया। पिछले 72 घंटे में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जबरिया अंत्येष्टि के आरोप का वीडियो वायरल होने के बाद जब बुधवार की सुबह प्रशासन-पुलिस के आला अफसर कौलारा कला पहुंच गए।

चुनाव आयोग प्रकरण में एसटीएफ ने जेल में लिए बयान

सहारनपुर। निर्वाचन आयोग की बेबसाइट से छेड़छाड़ के मामले में एसटीएफ ने तफ्तीश शुरू कर दी है। एसटीएफ ने सहारनपुर पहुंचकर प्रकरण से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए। टीम ने जेल में अभियुक्तों से पूछताछ की है।

बीते 13 अगस्त को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। दिल्ली से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने नकुड़ थाना क्षेत्र के मच्छरहेड़ी गांव से एक अभियुक्त विपुल सैनी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद वेबसाइट से छेडछाड़ कर फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाने का खुलासा हुआ था।

कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने में एएमयू वीसी का विरोध

अलीगढ़ | कार्यालय संवाददाता

एएमयू वाइस चांसलर प्रो. तारिक मंसूर के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने पर उनका कैंपस में विरोध शुरू हो गया है। विवि के छात्रों ने कई स्थानों पर वीसी के शोक प्रकट करने पर आपत्ति जताते हुए पोस्टर चस्पा कर दिए। हरकत में आए इतजामिया ने पोस्टरों को आनन-फानन में हटवा दिया है।

बीते रविवार को सूबे के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अगले दिन एएमयू वीसी ने सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया था। मंगलवार को कैंपस में कई स्थानों पर छात्र संघ से जुड़े छात्रों ने शोक प्रकट करने पर घोर आपत्ति जताते हुए वीसी की निंदा की।

अखिलेश को शिवपाल ने दी शिष्टाचार की नसीहत

अलीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर बुधवार को अलीगढ़ आए शिवपाल यादव ने एक सवाल के जवाब में मुलायम सिंह की जमकर तारीफ करते हुए भतीजे अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर ही शिष्टाचार की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि राजनीति अलग विषय है।

मुकदमों के बाद भी अफगानिस्तान की यात्रा

संभल | संवाददाता

अपराधिक मुकदमों की लंबी फेहरिस्त के बावजूद नखासा क्षेत्र के व्यक्ति ने कई बार अफगानिस्तान की यात्रा भी कर आया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान वह अपने भतीजे के साथ काबुल पहुंच गया। वहां के दहशतभरे हालात देखकर वापस लौटना ही मुनासिब समझा।

चाचा-भतीजे सकुशल अपने वतन वापस पहुंच गए, लेकिन उनकी वापसी की इलाके भर में चर्चा हो गई। इसके साथ ही यह भी राज खुला कि अफगानिस्तान की यात्रा करने वाले संतरी के खिलाफ तो दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उसे विदेश यात्रा की अनुमति कैसे मिल गई। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है और एसपी ने मामले की जांच कराकर आगे की कार्रवाई की बात कही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां फंसे भारतीयों के देश लौटने का सिलिसला शुरू हुआ तो संभल के नखासा थाना क्षेत्र अंतर्गत भतावाली गांव निवासी संतरी और उसका भतीजा शुभम भी 22 अगस्त को भारतीय वायुसेना के विमान से वापस लौटे। उनकी वापसी की खबर मीडिया की सुर्खियां बनी।

> अफगानिस्तान से लौटे संतरी के अपराधिक इतिहास की बात सामने आई है। पूरे मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है कि क्या अपराधिक इतिहास है और उसका पासपोर्ट कब बना। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
>
> **चक्रेश मिश्रा,** पुलिस अधीक्षक संभल

संक्षेप

स्टेट जीएसटी भी कब्जे में लेगा संपत्तियां

कानपुर। जीएसटी नहीं देने वाले कारोबारियों पर स्टेट जीएसटी का फंदा और कसेगा। अब स्टेट जीएसटी भी प्रवर्तन निदेशालय की तर्ज पर संपत्तियां सीज करेगा। ये कदम विभाग उन मामलों में उठाएगा, जिनके बकाये टैक्स को एक साल से ज्यादा हो गया है। यह निर्देश वाणिज्य कर कमिश्नर मिनिस्टी एस ने जोनल एडीशनल कमिश्नर को दिए हैं। सरकारी राजस्व को सुरक्षित करने के लिए स्टेट जीएसटी अब बकाये टैक्स वाले कारोबारियों की संपत्ति, बैंक खाते, कैश आदि को जब्त कर सकेगा।

लिफ्ट देकर महिला से छेड़छाड़, लूटपाट

बांदा। बबेरू में मंगलवार रात सवारी गाड़ी का इंतजार कर रही एक महिला को लिफ्ट देकर छेड़छाड़ की गई। यही नहीं, उसके गले से चेन और साढ़े बारह हजार रुपये नकदी भी पार कर दी। दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। निभौर गांव निवासी महिला के मुताबिक, कानपुर से अपने तीनों बच्चों के साथ बबेरू लौटी थी।

सर्राफा कारोबारी से पांच लाख की लूट

जलालपुर। थाना क्षेत्र के चक विसाव ब्रम्हबाबा के पास मंगलवार की रात अपाचे बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक सराफा कारोबारी को तमंचा सटाकर रोक लिया। पांच लाख से अधिक का जेवर लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गयी। पुलिस मामले की जांच में जुटी रही।

गैंगस्टर मामले में मुख्तार की जमानत खारिज

मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने दक्षिण टोला थाना क्षेत्र से गैंगस्टर के आरोपी बाहुबली विधायक एवं बांदा जेल में निरुद्ध माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता दारोगा सिंह तथा प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

एटा में महिला अचेत मिली, गला रेता गया

एटा। ढाबा के पास बंदायू की महिला अचेत पड़ी मिली। गला रेंता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला का पति मेंहदीपुर बालाजी दर्शन कर रहा है। बुधवार सुबह सकरौली पुलिस को सूचना मिली कि शंकर ढाबा के पास एक महिला अचेत मिली है।

आर्मी की इमारतों में चोरी करने वाला धरा

मेरठ। आर्मी की इमारत में चोरी करने वाले आरोपी इलेक्ट्रिशियन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इन्हीं बिल्डिंग में काम करने के लिए रखा हुआ था और इसी ने वारदातों को अंजाम दिया। इसके बाद आर्मी के हवलदार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने कुछ सामान बरामद कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है।

एसएसपी कार्यालय पर आत्मदाह का किया प्रयास

अलीगढ़। एसएसपी कार्यालय पर बुधवार को एक युवती ने खुद के ऊपर कैरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। छेड़छाड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परेशान थी। पुलिस कर्मियों ने युवती के हाथ से कैरोसिन की बोतल छीनकर युवती को हिरासत में ले लिया। वाकये के अनुसार गभाना थाना क्षेत्र के गांव टमकौली निवासी एक युवती से बीते 21 जुलाई को गांव के ही चार युवकों ने छेड़छाड़ कर दी थी। जान से मारने का प्रयास किया था।

ऑटो रौंदकर पलटा ट्रक, सात लोगों की मौत

बदायूं में हादसा

बदायूं | संवाददाता

बदायूं-आंवला रोड पर थाना कुंवरगांव क्षेत्र के गांव ललेई के पास बुधवार अपराह्न में बेकाबू ट्रक ने टेंपो को रौंद डाला। हादसे में टेंपो सवार सात लोगों की मौत हो गई। इनमें मां-बेटी भी शामिल हैं। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिये हैं। ट्रक का ड्राइवर भी हिरासत में बताया जा रहा है। शवों का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की रात में ही पुलिस ने तैयारी कर ली है। इधर, हादसे की खबर पर परिवार के लोगों के पहुंचने पर जिला अस्पताल में कोहराम मच गया। देर शाम तक जिला अस्पताल परिसर भी छावनी बना रहा।

बदायूं में बुधवार को हादसे के बाद अस्पताल में विलाप करते मृतकों के परिजन।

कुंवरगांव से आ रहे टेंपो को बदायूं की ओर से जा रहे कोयला लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। बताया जाता है कि इससे पहले भी ट्रक ने एक टेंपो को चपेट में लिया था। जबकि इस टेंपो को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर संतुलन खो बैठा और टेंपो को रौंदने के बाद सड़क किनारे खंती में जाकर पलट गया। हादसे में टेंपो सवार प्रेमलता 55 वर्ष पत्नी डोरीलाल निवासी वार्ड संख्या पांच कस्बा कुंवरगांव के अलावा उनकी बेटी सपना पत्नी गजेंद्र व सपना की पांच साल की बेटी काव्या निवासीगण नकटिया, बरेली समेत टेंपो चालक बुंदी (40 वर्ष) निवासी गांव बनेई, मुनेशपाल (30 वर्ष) निवासी गांव हुसैनपुर के साथ मुरारी (35 वर्ष) निवासी कुंवरगांव की मौत हो गई। इमलिया गांव का मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। इमलिया गांव का मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। देर शाम अलीगढ़ ले जाते वक्त मुकेश ने भी दम तोड़ दिया। एसपी सिटी प्रवीन सिंह चौहान ने बताया कि ट्रक से निकलकर भाग रहे एक व्यक्ति को दौड़ाकर पकड़ा गया है। संभवतः वही ड्राइवर है।

फतेहपुर में उमर गौतम समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

फतेहपुर | कार्यालय संवाददाता

धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम के खिलाफ पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। उस पर नूरुल हुदा स्कूल में प्रबंधक और उसके बेटे के साथ मिलकर हिन्दू छात्रों और शिक्षकों पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाब बनाने, देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धमकी देने का आरोप है।

शहर के नूरुल हुदा स्कूल में तैनात रही शिक्षिका कल्पना सिंह का आरोप है कि 2020 में शीतकालीन अवकाश के दौरान मोहम्मद उमर गौतम इस्लाम की शिक्षा देने के लिए स्कूल आया था। छुट्टी होने के बाद भी प्रबंधक मौलान उमर शरीफ ने हिन्दू छात्रों व शिक्षक-शिक्षिकाओं को स्कूल में जुटाकर देवी देवताओं के खिलाफ अपमान जनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। प्रबंधक व उसके बेटे मोहम्मद उमैर शरीफ ने इस्लाम अपनाने पर अच्छी शिक्षा, सुविधाएं और विदेश जाने का लालच दिया।

पिता-पुत्र को गैर इरादतन हत्या में दस साल की कैद

रामपुर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान युवक की मौत हो जाने के मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र को दस-दस साल की कैद और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के नवाबगंज गांव का है।

गांव के 25 साल के युवक राजू पर तीन जुलाई 2010 की रात में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। वह पड़ोस में तिलक समारोह से वापस लौट रहा था। इस घटना में राजू गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में राजू की मां की ओर से गांव के ही देवीराम, झंडे और उसके बेटे सुरेंद्र और सोहन लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मनमानी कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस : कोर्ट

प्रयागराज | विधि संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आश्वासन दिया है कि व्यापारियों से जुड़े मामलों में पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी। राज्य सरकार जल्द ही इस मामले में गाइडलाइन भी जारी करेगी।

अवनीश अवस्थी कोर्ट के निर्देश पर बुधवार को न्यायालय में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह के अलावा एसपी जालौन रवि कुमार और नदी गांव थाने के सब इंस्पेक्टर केदार सिंह को तलब किया था। जालौन के व्यापारी विशाल गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि यह लगातार देखने में आ रहा है कि पुलिस व्यापारियों के खिलाफ मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही है। उन पर धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। याची के खिलाफ गत 20 फरवरी को नदी गांव थाने में धोखाधड़ी और सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। याची ने कहा कि वह ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है और अपने ट्रक पर सुपारी व तम्बाकू लेकर जा रहा था।

प्रमुख सचिव को आदेश के पालन का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से शस्त्र लाइसेंस अर्जी तय करने के आदेश का पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अवमानना याचिका पर दिया है।

देह व्यापार के आरोपी सहानुभूति के हकदार नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरन देह व्यापार कराने के आरोपी आकाश को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि देह व्यापार समाज के विरुद्ध अपराध है। ऐसे अपराध के आरोपी सहानुभूति पाने के हकदार नहीं हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। पुलिस व एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने गौतमबुद्ध नगर से चार लड़कियां छुड़ाई।

अपहरण-गैंगरेप के दोषी को 20 साल का कारावास

अमरोहा। किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी को बीस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख सात हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

आदमपुर थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में जमानत पर बाहर आए आरोपी को कोर्ट का फैसला आने के बाद जेल भेज दिया है। वारदात में शामिल एक नाबालिग आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन चल रही है। आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में 27 अगस्त 2014 की रात की घटना है।

JUBILANT PHARMOVA

जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड

(सीआईएनः L24116UP1978PLC004624)

पंजीकृत कार्यालयः भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा – 244 223, उत्तर प्रदेश

ई–मेलः investors@jubl.com, वेबसाइटः www.jubilantpharmova.com

फोनः +91–5924–267200

जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड की 43वीं वार्षिक आम बैठक से संबंधित जानकारी

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 एवं 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए परिपत्रों") तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांकित 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 ("सेबी परिपत्रों") के अनुपालन में **जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड** के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक **('एजीएम') बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे** (भारतीय मानक समय) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (**'वीसी'**)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (**'ओएवीएम'**) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित होनेवाले व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु संगणित किया जाएगा।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित (सामूहिक रूप से 'वार्षिक रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित) कम्पनी के उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजे जाएंगे जिनका ई–मेल पता कम्पनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantpharmova.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, सदस्य केवल वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित हो सकते और भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने हेतु निर्देश एवं भाग लेने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।

जिन शेयरधारकों का ई–मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनके लिए ई–मेल पता के पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

अ) यदि शेयर भौतिक रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे एवं पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति) investors@jubl.com अथवा rta@alankit.com पर ई–मेल द्वारा भेजें।

आ) यदि शेयर डीमैट रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी (16–अंकीय डीपीआईडी + क्लाइंट आईडी या 16–अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) investors@jubl.com अथवा rta@alankit.com पर भेजें।

कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने हेतु अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से भी वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने 4 जून, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु, एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के विषय–स्वरुप, प्रति समता शेयर पर रु 5 के लाभांश की अदायगी की अनुशंसा की है। लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु रिकॉर्ड तिथि, अर्थात् 6 अगस्त, 2021 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में कम्पनी के समता शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों को भुगतान किया जाएगा।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुपालन में, 1 अप्रैल, 2020 के प्रभाव से, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कम्पनी द्वारा निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना वांछित है। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति एवं आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भिन्न हो सकती है। वित्त वर्ष 2020–21 हेतु लाभांश एजीएम में सदस्यों की घोषणा के विषय–स्वरुप है। घोषित किए जाने पर यह लाभांश वित्तीय वर्ष 2021–22 (आकलन वर्ष 2022–23) में शेयरधारकों के हाथ में कर योग्य होगा। तद्नुसार, प्रस्तुत किए गए सभी विवरण एवं घोषणाएं वित्त वर्ष 2021–22 (आकलन वर्ष 2022–23) से संबंधित होने चाहिए। विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारकों हेतु टीडीएस की दर के साथ अपेक्षित दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantpharmova.com पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज, विधिवत निष्पादित, कम्पनी को निम्नानुसार भेजे जा सकते हैं:

(अ) निष्पादित दस्तावेज ई–मेल के माध्यम से pharmova.dividend@jubl.com पर भेजे जा सकते हैं;

(आ) निष्पादित दस्तावेज (मूल रूप में) सीधे कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में भेजे जा सकते हैं।

कम्पनी को लाभांश के भुगतान पर उचित टीडीएस/ 'विथहोल्डिंग टैक्स' का निर्धारण एवं कटौती करने में सक्षम बनाने हेतु उपरोक्त निष्पादित दस्तावेज 15 सितम्बर, 2021 को या उससे पूर्व कम्पनी तक पहुंच जाने चाहिए। यह विधिवत ध्यान दिया जाना चाहिए कि ई–मेल के माध्यम से दस्तावेज भेजने वाले सदस्यों को कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में निष्पादित दस्तावेज (मूल रूप में) भेजना भी वांछित है।

कम्पनी के समता शेयरों को डीमैट रूप में प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य और जिन्होंने अपना बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत करने हेतु अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें। कम्पनी के समता शेयरों को भौतिक रूप में प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य और जिन्होंने अपना बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे investors@jubl.com अथवा rta@alankit.com पर ई–मेल भेजकर अपना बैंक विवरण पंजीकृत कर सकते हैं।

कृते **जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड**

हस्ताक्षर/–

राजीव शाह

(कम्पनी सचिव)

स्थानः नोएडा

दिनांकः 25 अगस्त, 2021

पूर्व विधायक हशरतउल्ला समेत नौ को सात-सात वर्ष की सजा

कासगंज | हिन्दुस्तान संवाद

पूर्व विधायक हशरतउल्ला शेरवानी समेत नौ लोगों को ढोलना थाने में बंद आरोपी पर जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी नौ लोगों पर पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।

22 मई 2011 को गांव गढ़ी का निवासी शमशाद थाना की हवालात में बंद था। दिन में करीब दो बजे तत्कालीन बसपा विधायक व वर्तमान में सपा नेता हशरतउल्ला शेरवानी अपने 50 समर्थकों के साथ थाने पर पहुंच गए। विधायक व उनके समर्थकों ने शमशाद को हवालात के गेट पर बुलाकर उसे लाठी व राइफलों की बटों से पीटा।

सिरसली के भूपेंद्र हत्याकांड में तीन को उम्रकैद

बागपत। सिरसली के भूपेंद्र हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध हो जाने पर पति-पत्नी समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी उर्मिला को दी जाएगी। हाईकोर्ट ने भी कोर्ट को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए थे।

कातिल की तलाश में दबिश, बुजुर्ग को पीटा, मौत

तिलहर। शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र के धनेला गांव में हरद्वारी के मकान में छिपे हत्यारे को पकड़ने गई पुलिस ने तांडव मचाया, आरोप है कि पुलिस द्वारा पीटे जाने से हरद्वारी की मौत हो गई। यह आरोप हरद्वारी की पत्नी ने पुलिसकर्मियों पर लगाया। परिजनों ने थाने में हंगामा काटा।

क्षेत्र के भुड़ेली गांव निवासी वेदप्रकाश वर्मा की मंगलवार रात जमीन के विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। इसके हत्यारा रामदास अपने रिश्तेदारी में धनेला गांव के हरद्वारी लाल वर्मा 56 के मकान में जाकर छिप गया।

गैर जिलों से वाहन खरीदने पर एजेंसी में होगा पंजीयन

नई व्यवस्था

प्रयागराज | वरिष्ठ संवाददाता

प्रदेश के अंदर किसी जिले से नया वाहन खरीदने पर अब पंजीयन के लिए गृह जनपद के आरटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। गैर जनपद की वाहन एजेंसी ही ग्राहक के जिले का नंबर आवंटित कर देगी। गैर जिलों में वाहन खरीदने वालों के लिए अस्थाई पंजीयन समाप्त कर दिया गया है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के आदेश से उन लोगों को राहत मिली जो इंपोर्टेड वाहन खरीदने के लिए लखनऊ या दिल्ली के आसपास जिलों में जाते हैं। परिवहन आयुक्त कार्यालय से बुधवार को जारी आदेश के तहत अब गैर जनपद से खरीदे गए वाहनों का स्थाई पंजीयन वहीं की एजेंसी में होगा। इसके लिए ग्राहक को सभी भुगतान ऑनलाइन करना होगा। डीलर ग्राहक के गृह जिले का नंबर जारी कर आरटीओ कार्यालय को सूचित कर देगा। एआरटीओ (प्रशासन) डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि अबतक की व्यवस्था में गैर जनपद से वाहन खरीदने पर एजेंसी से अस्थाई पंजीयन होता था। वाहन स्वामी गृह जिले के आरटीओ दफ्तर से स्थाई पंजीयन कराते थे।

सभी थानों में तीन से चार महिला बीट बनेंगी

मिशन शक्ति

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

डीजीपी मुकुल गोयल कहा है कि कमिश्नरेट व सभी जिलों में महिला सब इंस्पेक्टर व महिला कांस्टेबल की संख्या के अनुसार पुलिस थानों की तीन से चार बीटों पर एक-एक महिला बीट बनाई जाए। मिशन शक्ति के तीसरे चरण में महिला पुलिस बीट अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में डीजीपी ने बुधवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया।

इसमें कहा गया है कि महिला बीट में दो-दो महिला बीट पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएं। महिला इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को मिलाकर टीम बनाते हुए महिला बीट पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएं। इन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी का नाम दिया जाएगा।

डीजीपी ने कहा है कि महिला बीट पुलिस अधिकारी को थाना स्तरीय महिला सुरक्षा समिति एवं ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों से भी समन्वय स्थापित करते हुए उनकी मौजूदगी व सहयोग से छोटी समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से गांव में ही कराना होगा। महिला हेल्पडेस्क के समान ही मिशन शक्ति कक्ष में फ्लेक्सी शीट लगाई जाए।

ग्राम सचिवालय में बैठकर सुनेंगी समस्याएं

डीजीपी ने कहा है कि महिला बीट पुलिस अधिकारी अपनी बीट में जाकर महिलाओं से संवाद स्थापित करते हुए अपराध होने की स्थिति में तत्काल थाने को सूचना देकर कार्रवाई कराएंगी। साथ ही छोटी-छोटी शिकायतों का भी संज्ञान लेते हुए समय से जरूरी कार्रवाई की जाएगी। महिला बीट पुलिस अधिकारी हफ्ते के दो से तीन दिन में एक बीट का भ्रमण करेंगी। प्रत्येक गांव के ग्राम पंचायत भवन या नवसृजित ग्राम सचिवालय में स्थापित मिशन शक्ति कक्ष में सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक बैठकर महिलाओं की समस्याएं सुनेंगी। उन्हें शासन द्वारा महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं पुलिस प्रशासन की विभिन्न हेल्पलाइन जैसे 112, 1090, 1076, 181 व 108 के संबंध में जागरूक करेंगी।

पुलिस लाइंस में होगी ट्रेनिंग

डीजीपी ने कहा है कि एसपी या एएसपी द्वारा पुलिस लाइंस में महिला पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए। इस दौरान उन्हें महिला बीट के औचित्य, गांवों में भ्रमण के दौरान महिलाओं के बीच में पहुंचकर उन्हें प्रोत्साहित करने, समस्याओं पर कार्रवाई की बीट बुक बनाने तथा शिकायतों की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई करने जैसे जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षित किया जाए।

चार करोड़ का सोना लेकर मुंबई का सर्राफ फरार

बुलंदशहर। मुंबई का एक सर्राफ बुलंदशहर एवं आसपास क्षेत्र के सर्राफाओं का करोड़ों रुपये का सोना लेकर फरार हो गया। आरोपी कई सालों से बुलंदशहर में ही रहकर काम कर रहा था। सर्राफाओं का विश्वास जीतकर उनसे सोना लेकर आरोपी रातोंरात अपने परिवार के साथ फरार हो गया। इससे पीड़ित सर्राफा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। समाचार लिखे जाने तक घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

महाराष्ट्र के मुंबई के सांगली क्षेत्र निवासी एक सर्राफ बीते कई सालों से बुलंदशहर नगर क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रहा था। आरोपी मशीन से सोने की शुद्धता की जांच करता था।